न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 02 सन 2010

अनवान :–

1. गुरूनामसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखडवाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब।

वादी

बनाम

1. सुरखमन्द्रसिह पुत्र जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब

असल प्रतिवादी

2. चन्द्रसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
3. हाकमसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
4. गुरभेज सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
5. रूपसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
6. हरबश पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तिहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.228 ,4/0.227 ,5/0.202 ,6/0.228 ,7 ता 13/प्रत्येक 0.253 कुल 3.112हैक प0न0 310/378(53) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12 प्रत्येक 0.253 ,13/0.126 ,कुल 3.112हैक , 0.227 हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक चक 16 केएनएन के प0न0 311/377(31) किला न0 21/0.253 , प0न0 310/377(32) के किला न0 14 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 हैक कुल 2.960हैक प0न0 310/378(53)किला न0 13/2 की 0.127 ,14/0.253 ,15/0.228 ,16/0.228 ,17 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 कुल 3.087हैक मु0न0 73 की 0.152 कुल 6.452हैक भूमि के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 अर्थात चारों का 1/3 हिस्सा एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 1/3 हिस्सा व बख्तावरसिह वल्द बजीरसिह का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि जरिये बेयनामा दिनांक 21.7.1959 को खरीद की गई थी।

बख्तावरसिह वल्द वजीरसिह जाति जटसिख कुवारा ही फोत हो गया था जिसके हक हिस्सा की भूमि 1/3 हिस्सा अर्थात 4.301हैक भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 हुए जो उक्त भूमि को बहिब अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे।

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 उक्त भूमि में से 2.1505हैक एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हिस्सा में 2.1505हैक भूमि आई सुखमन्दसिह के हिस्से में केवल बख्तावरसिह की भूमि का 1/2 हिस्सा का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.4301हैक भूमि ही आती है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने चालाकी से सम्पूर्ण भूमि 6.451है में से 1/5 हिस्सा भूमि अपने नाम से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

दर्ज करवा ली जबकि प्रतिवादी ने उक्त भूमि कभी भी खरीद नही की थी केवल बखतावरसिह से आई भूमि ही पाने का अधिकारी था प्रतिवादी संख्या 1 ने 0.8601हैक भूमि अधिक दर्ज करवाई गई है जिसे वादी कलमजन करवा कर अपने नाम से दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 अर्थात जरनेलसिह के वारिसान व करनैलसिह के वारिसन तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने खाता विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा लिया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है

चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228, 2/0.228,3/0.228,4/0.227 ,5/.202 ,6/0.228 ,7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 3.112हैक एवं प0न0 310/378(53) किला न0 1 ता 4/प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12/0.253 ,13/0.126 कुल 3.112हैक जिसमें 0.227हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक भूमि जरनैलसिह के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्सा में आई जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.2902हैक प्रतिवादी संख्या 1 के 0.4301हैक एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 सुखदेवसिह ने अपने हिस्सा में से भूमि में से 0.506 हैक भूमि गुरमेलसिह पुत्र बक्शीसिह को बेचान करने के कारण सुखदेवसिह के हिस्सा में 0.784हैक प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में 1.2902हैक तथा प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्सा 1.2902 हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि दर्ज करवाली थी जिसे संशोधन करवाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद की मद संख्या 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर तनकी कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर पत्रावली विचाराधीन चलने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया की वाद की मद संख्या 4 के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.228 ,4/0.227 ,5/0.202 ,6/0.228 ,7 ता 13/प्रत्येक 0.253 कुल 3.112हैक प0न0 310/378(53) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12 प्रत्येक 0.253 ,13/0.126 ,कुल 3.112हैक , 0.227 हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक चक 16 केएनएन के प0न0 311/377(31) किला न0 21/0.253 , प0न0 310/377(32) के किला न0 14 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 हैक कुल 2.960हैक प0न0 310/378(53)किला न0 13/2 की 0.127 ,14/0.253 ,15/0.228 ,16/0.228 ,17 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 कुल 3.087हैक मु0न0 73 की 0.152 कुल 6.452हैक भूमि के वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 अर्थात चारों का 1/3 हिस्सा एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 1/3 हिस्सा व बख्तावरसिह वल्द बजीरसिह का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि जरिये बेयनामा दिनांक 21.7.1959 को खरीद की गई थी।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

APR -

वख्तावरसिह वल्द वजीरसिह जाति जटसिख कुवारा ही फोत हो गया था जिसके हक हिस्सा की भूमि 1/3 हिस्सा अर्थात 4.301हैक भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी 1 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 हुए जो उक्त भूमि को वहिब अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे।

तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 उक्त भूमि में से 2.1505हैक एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हिस्सा में 2.1505हैक भूमि आई सुखमन्दसिह के हिस्से में केवल वख्तावरसिह की भूमि का 1/2 हिस्सा का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.4301हैक भूमि ही आती है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने चालाकी से सम्पूर्ण भूमि 6.451है में से 1/5 हिस्सा भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली जवकि प्रतिवादी ने उक्त भूमि कभी भी खरीद नही की थी केवल वखतावरसिह से आई भूमि ही पाने का अधिकारी था प्रतिवादी संख्या 1 ने 0.8601हैक भूमि अधिक दर्ज करवाई गई है जिसे वादी कलमजन करवा कर अपने नाम से दर्ज करवाने की धोषणा करवाने का अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही रहा है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद की मद संख्या 4 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकवाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

हमने उभयपक्षों की वहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.228 ,4/0.227 ,5/0.202 ,6/0.228 ,7 ता 13/प्रत्येक 0.253 कुल 3.112हैक प0न0 310/378(53) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12 प्रत्येक 0.253 ,13/0.126 ,कुल 3.112हैक , 0.227 हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक चक 16 केएनएन के प0न0 311/377(31) किला न0 21/0.253 , प0न0 310/377(32) के किला न0 14 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 हैक कुल 2.960हैक प0न0 310/378(53)किला न0 13/2 की 0.127 ,14/0.253 ,15/0.228 ,16/0.228 ,17 ता 24 प्रत्येक 0.253 ,25/0.227 कुल 3.087हैक मु0न0 73 की 0.152 कुल 6.452हैक भूमि के वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 अर्थात चारों का 1/3 हिस्सा एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 1/3 हिस्सा व वख्तावरसिह वल्द वजीरसिह का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि जरिये बेयनामा दिनांक 21.7.1959 को खरीद की गई थी जो प्रस्तुत बैयनामा व राजस्व रिकार्ड से सावित है

वख्तावरसिह वल्द वजीरसिह जाति जटसिख कुवारा ही फोत हो गया था जिसकी वसीयत के अनुसार उसके हक हिस्सा की भूमि 1/3 हिस्सा अर्थात 4.301हैक भूमि के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी 1 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 हुए जो उक्त भूमि को वहिव अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्रसिह ने वख्तावरसिह के 1/2 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा के अनुसार 0.4301हैक भूमि हिस्से में आई किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाते समय कुल 6.451हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज करवाली अर्थात 1.2902हैक भूमि दर्ज करवाली जवकि प्रतिवादी संख्या 1 केवल 0.4301हैक भूमि ही दर्ज करवाने का अधिकारी था प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अधिक दर्ज भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जिसका वो अधिकारी है वादी के वाद /कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के हक हिस्सा की भूमि उसके नाम से वाद की मद संख्या 4 के अनुसार वाहमी वटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाल दावा पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का आपस में सहमति हो गई है किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपत्ती सहमति

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर एक प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णरूप से चरपा होते है अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228, 2/0.228,3/0.228,4/0.227 ,5/.202 ,6/0.228 ,7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 3.112हैक एवं प0न0 310/378(53) किला न0 1 ता 4/प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12/0.253 ,13/0.126 कुल 3.112हैक जिसमें 0.227हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक भूमि जरनैलसिह के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्सा में आई जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.2902हैक प्रतिवादी संख्या 1 के 0.4301हैक एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 सुखदेवसिह ने अपने हिस्सा में से भूमि में से 0.506 हैक भूमि गुरमेलसिह पुत्र बक्शीसिह को बेचान करने के कारण सुखदेवसिह के हिस्सा में 0.784हैक प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में 1.2902हैक तथा प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्सा 1.2902 हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरूनामसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखडवाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब।

वादी

बनाम

1 सुरखमन्द्रसिह पुत्र जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब

असल प्रतिवादी

2. चन्द्रसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
3. हाकमसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
4. गुरभेज सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
5. रूपसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब
6. हरबश पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तिहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 02 सन 2010 निर्णय दिनांक– 21/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228, 2/0.228,3/0.228,4/0.227 ,5/.202 ,6/0.228 ,7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 3.112हैक एवं प0न0 310/378(53) किला न0 1 ता 4/प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12/0.253 ,13/0.126 कुल 3.112हैक जिसमें 0.227हैक गै0मु0खाला कुल 6.451हैक भूमि जरनैलसिह के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्सा में आई जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.2902हैक प्रतिवादी संख्या 1 के 0.4301हैक एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 सुखदेवसिह ने अपने हिस्सा में से भूमि में से 0.506 हैक भूमि गुरमेलसिह पुत्र बक्शीसिह को बेचान करने के कारण सुखदेवसिह के हिस्सा में 0.784हैक प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्सा में 1.2902हैक तथा प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्सा 1.2902 हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरूनामसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखड़वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाव।

वादी

बनाम

1. सुखमन्द्रसिह पुत्र जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाव

असल प्रतिवादी

2. चन्द्रसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाव
3. हाकमसिह पुत्र करनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाव
4. गुरभेज सिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाव
5. रूपसिह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाव
6. हरवश पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी जाखहवाला तिहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाव

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 02 सन 2010 निर्णय दिनांक– /6/6/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी एवं प्रतिवाादीगण के आपसी राजीनामा के अनुसार निम्नप्रकार से वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के प0न0 310/377(32) के किला न0 1/0.228, 2/0.228,3/0.228,4/0.227 ,5/.202 ,6/0.228 ,7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 3.112हैक एवं प0न0 310/378(53) किला न0 1 ता 4/प्रत्येक 0.253 ,5/0.228 ,6/0.228 ,7 ता 12/0.253 ,13/0.126 कुल 3.112हैक जिसमें 0.227हैक गै0मु0खाला कुल 6.452हैक भूमि गुरनामसिह के पास 1.506हैक यानि 5.17 वीधा भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 5 रूपसिह के पास 1.505हैक यानी 5.17 वीधा भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 4 मृतक सुखदेवसिह के पुत्र प्रतिवादी संख्या 4/1– गुरूभेजसिह के पास 0.999हैक भूमि यानि 3.17 वीधा भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 6 हरवंशसिह के पास 1.505हैक भूमि यानि 5.17 वीधा भूमि रहेगी ~~सुखदेवसिह~~ प्रतिवादी संख्या 1 के पास 0.430 हैक यानी 1.14 वीधा भूमि रहेगी तथा गुरमैल के नाम 0.506 हैक यानी 2.00 वीधा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री निर्णय का भाग रहेगी।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक /6/6/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner